खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0096/2017

1. Hari Ram Agrawal S/o Sh. Mohan Lal Agrawal M/s Navhari Food Products Pvt. Ltd., F-210, Beechwal Industrial Area, Bikaner (Rajasthan) R/o Bachhawaton Ka Mohalla, Bikaner-334001.
2. Madan Lal Agrawal S/o Sh. Mohan Lal Agrawal M/s Navhari Food Products Pvt. Ltd., F-210, Beechwal Industrial Area, Bikaner (Rajasthan) R/o Bachhawaton Ka Mohalla, Bikaner-334001.
3. M/s Navhari Food Products Pvt. Ltd., F-210, Beechwal Industrial Area, Bikaner (Rajasthan) R/o Bachhawaton Ka Mohalla, Bikaner- 334001 **...Appellants**

Versus

1- The State of Rajasthan, through the Commissioner, Food Safety, Rajasthan, Jaipur.

2- Food Safety Officer, O/o Chief Medical & Health Officer, Jodhpur

.....**Respondents**

3. Shri Shyam Singh Bhati S/o Shri Udai Singh Bhati, aged about 37 years, (FBO/Owner) M/s Reliance Fresh Limited, Plot No. 24, Shiv Mandir, Opposite Balasati Government Hospital, Jodhpur, Resident of Village Loharki, Tehsil Pokran, District Jaisalmer. Presently at Jodhpur.
4. Shri Amar Gupta S/o Shri V.K. Gupta (Nominee), M/s Reliance Fresh Limited, Plot No. 24, Shiv Mandir, Opposite Balasati Government Hospital, Jodhpur, Resident of Village Loharki, Tehsil Pokran, District Jaisalmer. Presently at Jodhpur.
5. M/s Reliance Fresh Limited, Plot No. 24, Shiv Mandir, Opposite Balasati Government Hospital, Jodhpur.
6. M/s Reliance Retail Limited, R.R.L. Jaipur, V.K.I. Distribution Centre, Reliance Limited, Jaipur.

...**Performa Respondents**

उपस्थितः–
1. श्री दीपक बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अभिजित शर्मा, अधिवक्ता वास्ते श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण राज्य

:: निर्णय :: दिनांक : 08.02.2018

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, जोधपुर के आदेश दिनांक 07.07.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 27/2016 सरकार बनाम श्याम सिंह वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट सं.05 से 07 प्रत्येक पर 15,000रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) कुल 45,000 रूपये (अक्षरे पैतालीस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि दिनांक 10.10.2014 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जोधपुर द्वारा मैसर्स रिलायंस फ्रेश लिमिटेड, प्लाट नं.24, शिव मंदिर बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने रातानाडा में विक्रय हेतु रखे गए बेसन के लड्डू का सैम्पल लिया जो बाद जांच मिसब्राण्ड पाया गया। आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात अपीलार्थीगण एवं प्रोफोर्मा रेस्पोडेंट सं0 3 से 6 के विरूद्व परिवाद प्रस्तुत किया गया और बाद सुनवाई आलौच्य आदेश पारित किया गया।

3. अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी ने आलौच्य आदेश पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के सम्यक विवेचना किये बिना पारित किया है। यहां तक कि परिवाद में खाद्य पदार्थ के सब स्टेण्डर्ड होने का कोई आक्षेप नहीं होने पर भी आलौच्य आदेश के अनुच्छेद 04 में अपीलार्थीगण को (खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51) का दोषी लिखा है।

4. अपील में यह भी तर्क लिया गया है कि खाद्य पदार्थ में कोई कमी नहीं थी। खाद्य पदार्थ एक सील्ड पेकिट में विकित किया जा रहा था। पैकिंग के रैपर पर समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित की गई थी। पैकिंग के अन्दर के भाग पर सूचनाएं प्रदर्शित करने का कोई प्रावधान विधि के अन्तर्गत नहीं है।

5. प्रत्यर्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि आलौच्य आदेश विधिसम्मत है।

6. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

7. योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण ने अपील में लिए गए तर्को की पुनरावृति की जबकि प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

8. अवधार्य बिन्दु :——

''आया योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, जोधपुर ने बेसन के लड्डू को मिसब्राण्ड मानने में तथ्य एवं विधि की भूल की है?''

9. विनिश्चयः—— अपीलार्थीगण के हक में तय किया जाता है।

10. विनिश्चय के कारणः——

11. खाद्य पदार्थ के तत्वों में कोई कमी नहीं थी, केवल मात्र कमी जो बताई गई है वह यह कि The Food Safety and Standards (Packaging and Lebelling) Regulations,2011 (जिसे बाद में विनियम 2011 लिखा जायेगा) के नियम 2.2.1 (4) एवं 2.3.1 (4) का उल्लंघन किया गया है। विनियम 2011 का नियम 2.2.1 (4) इसप्रकार हैः–

"Label in pre-packaged foods shall be applied in such a manner that they will not become separated from the container."

12. हस्तगत प्रकरण में यह नहीं बताया गया है कि अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो उल्लंघन करना बताया गया है वह यह है किः——

"Sample is in a sealed and intact original company pack duplex box plastic tray having sample. The tray pack is kept loose condition and no information is given on tray pack Like Batch no. address etc.

Which is Contravention of Regulations No. 2.2.1(4), 2.3.1(4) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011."

13. इसके अनुसार पैकिंग के लिए जो ट्रे इस्तेमाल की गई थी उस ट्रे पर कोई सूचना छपी हुई नहीं थी परन्तु ऐसा विधि का कोई प्रावधान नहीं है। ट्रे पैकिंग का अन्दरूनी हिस्सा है, ट्रे में खाद्य पदार्थ विक्रित नहीं किया गया है। खाद्य पदार्थ स्वीकृत रूप से एक पैकेट में है जो पूर्णतया चारों तरफ से सील है और पैकेट के उपरी भाग पर समस्त आवश्यक सूचनाएं मुद्रित की गई है, न कि अलग से चिपकाई गई है। अतः इस स्थिति में नियम 2.2.1(4) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

14. विनियम 2011 का नियम–"2.3.1(4) इस प्रकार है किः––

" Where a package is provided with an outside container or wrapper, such container or wrapper shall also contain all the declarations which are required to appear on the package except where such container or wrapper itself is transparent and the declarations on the package are easily readable through such outside container or wrapper."

15. उक्त प्रावधान पढने मात्र से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में इस नियम का भी उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अपीलार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत परिवाद कतई न्यायसंगत नहीं था। योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी ने अपने आदेश के अनुच्छेद 04 में अपीलार्थीगण को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 को दोषी माना है। इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा भी पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है। क्योंकि खाद्य पदार्थ सब स्टेण्डर्ड होने का कोई परिवाद ही प्रस्तुत नहीं हुआ है। स्थिति जो भी हो, आलौच्य आदेश तनिक भी विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 27/2016 सरकार बनाम श्याम सिंह वगैरा में पारित किया गया को अपास्त किया जाता है। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थीगण को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.02.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर